फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदम बनाम कमी वगैरह

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या.42.सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 29/2022 बउनवान कमी बनाम आदम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री के.एल. चौहान द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रायपुरिया के खसरा नंबर 206 रकबा 3.10 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	आराजी वक्त प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 से द्वितीय सेटलमेंट तक लखीया एवं अदरिम पिता पीरूखां कौम सिपाही का ही राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज रहा। लखीया के फौत होने के पश्चात उनके जायन्दा पुत्र रहीम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया जो जमाबंदी संवत 2031–2033, 2034–2036, 2038–2041, से स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट कमी द्वारा बिना किसी आधार के अपने पिता का नाम पीरूखां बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी के प्रावधानो की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को विधिवत सम्मन तामिल नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रायपुरिया के खसरा नंबर 206 रकबा 3.10 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट कमी पीरूखां की जायन्दा पुत्री है। पीरूखां की जायन्दा पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का जन्मसिद्ध अधिकार है। वादग्रस्त आराजी पीरूखां के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। किन्तु सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा भूलवश वादग्रस्त आराजी लखीया एवं अदरिम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दी गई। जबकि कमी का वादग्रस्त आराजी मे पुश्तैनी कब्जा काश्त है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बेचान	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	रहीम द्वारा अकबर का कर दिया गया एवं अकबर द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपना जवाब प्रस्तुत न कर सीधे अंतरिम आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जो कि चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति को अगर रोका जाता है तो अपीलांट वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान कर देगा। जिससे रेस्पोडेन्ट कमी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ताआ की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रायपुरिया के खसरा नंबर 206 रकबा 3.10 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट कमी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है उसके अन्तर्गत स्वंय का पीरूखां की पुत्री होना जाहिर किया है। किन्तु वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से ही लखिमा एवं अदरीम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रही है। उक्त आराजी पीरूखां के नाम कभी दर्ज नहीं रही है। अत प्रकरण मे सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 29/2022 बउनवान कमी बनाम आदम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 को अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक विचाराधीन है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 06.07.2023 नियत है। उक्त प्रार्थना के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त प्रार्थना पत्र को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 29/2022 बउनवान कमी बनाम आदम वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी झालावाड़	